न्यायालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी—नथमल डिडेल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः—14 / 2022 विविध

मु. शांति (पुत्री नानूराम) धर्मपत्नी ताराचन्द जाति नाई निवासी वार्ड नं. 02, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

——**प्रार्थीया**

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र नानूराम जाति नाई साकिन भानीपुरा बास, नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. गोपाल पुत्र भंवरलाल
3. प्रेम पुत्री भंवरलाल
4. मन्जू पुत्री भंवरलाल
5. रेखा पुत्री भंवरलाल
6. सुमन पुत्री भंवरलाल
7. सरोज पुत्री भंवरलाल
8. कमलेश पत्नी किशनलाल
9. पूनम पुत्री किशनलाल
10. ललिता पुत्री किशनलाल
11. वर्षा पुत्री किशनलाल
12. भूप सिंह पुत्र सोहनलाल

जाति नाई साकिन लोहे की टंकी के पास, नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

13. दीनदयाल पुत्र बनवारीलाल जाति नाई साकिन मोतीबास, नोहर तहसील नोहर।
14. नारायणराम पुत्र बनवारीलाल जाति नाई साकिन गन्धेली तहसील रावतसर।
15. बृजलाल पुत्र बनवारीलाल जाति नाई साकिन गन्धेली तहसील रावतसर।
16. सुन्दरलाल पुत्र बनवारीलाल जाति नाई साकिन मोतीबास, नोहर तहसील नोहर।
17. निर्मला पत्नी राजाराम जाति नाई साकिन लोहे की टंकी के पास, नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
18. हजारी पुत्र नन्दलाल जाति नाई साकिन बिरामखेड़ा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का(पंजाब)।
19. भूप सिंह पुत्र नन्दलाल जाति नाई साकिन बिरामखेड़ा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का(पंजाब)।
20. रवि पुत्र ओमप्रकाश जाति नाई साकिन बिरामखेड़ा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का(पंजाब)।
21. सुमन पुत्री ओमप्रकाश पत्नी राजेश जाति नाई साकिन पीरकामड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
22. शीला पुत्री ओमप्रकाश पत्नी कृष्ण जाति नाई साकिन पंचकोसी तहसील अबोहर जिला फाजिल्का(पंजाब)।
23. हरीश पुत्र देवीलाल जाति नाई साकिन मोजगढ़ तहसील अबोहर जिला फाजिल्का(पंजाब)।
24. धर्मजीत पुत्र देवीलाल जाति नाई साकिन मोजगढ़ तहसील अबोहर जिला फाजिल्का(पंजाब)।

25. रामस्वरूप पुत्र साहबराम जाति नाई साकिन नाईयांवाला चक तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
26. लाली पुत्री साहबराम पत्नी नत्थुराम साकिन टालीवाला तहसील व जिला फाजिल्का(पंजाब)।
27. उप पंजीयक, नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
28. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार(राजस्व), नोहर तहसील नोहर।
29. श्रीमति श्वेता कोचर, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत मुन्तकिल किये जाने राजस्व वाद संख्या 455/2021 शीर्षक 'मु. शांति बनाम रामेश्वर आदि' न्यायालय सहा. कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर।

उपस्थितः—1. श्री राजेश कुमार छिम्पा, एडवोकेट—प्रार्थी।
2. श्री राजेशदीप राय, एडवोकेट—अप्रार्थी सं. 1 ता 16।
3. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधिवक्ता स्टेट की ओर से।

निर्णय **दिनांकः—02.08.2022**

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार से है कि न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर के समक्ष अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 28 के विरूद्ध धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद पत्र प्रस्तुत किया हुआ है। उक्त वाद पत्र प्रार्थीया द्वारा रोही मोजा चक राजासर तहसील नोहर के खसरा नं. 180/1 की 3.0980 हैक्ट. भूमि में प्रार्थीया को 0.352 हैक्ट. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करने व मुताबिक घोषणा राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया वृद्ध, विधवा व 72 वर्षीय अनपढ़ महिला है तथा अप्रार्थी सं. 01 रामेश्वर जो कि राजनैतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति है, का अधीनस्थ न्यायालय के वर्तमान पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी सं. 29 पर राजनैतिक दवाब है तथा प्रार्थीया के विपक्ष में निर्णय हेतु दबाव बना रखा है। इस दबाव के कारण अप्रार्थी संख्या—29 पीठासीन अधिकारी इस प्रकरण में न्यायपूर्ण कार्यवाही नहीं कर रहे है। प्रार्थीया द्वारा उक्त वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.04.2021 को रोही मौजा चक राजासर के खसरा नं. 180/01 की 3.0980 हैक्ट. भूमि के सम्बन्ध में रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने के सम्बन्ध में स्थगन भी जारी किया हुआ है। उक्त स्थगन की जानकारी अप्रार्थीगण व उप पंजीयक, नोहर व हल्का पटवारी, सोनडी को भी रही है, इसके बावजूद अप्रार्थी सं. 01 रामेश्वर ने अपने राजनैतिक प्रभाव के तहत स्थगन के बावजूद उक्त खाता में भूमि विक्रय की है जिस पर प्रार्थीया द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अवमानना की कार्यवाही भी प्रस्तुत की हुई है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन राजस्व वाद में तारीख पेशी 29.04.2022 नियत की गई थी। तत्पश्चात पुनः उक्त प्रकरण में तारीख पेशी 02.03.2022 नियत कर दी गई तथा दिनांक 02.03.2022 से आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.03.2022 नियत की गई तथा वर्तमान में उक्त प्रकरण में दिनांक 23.03.2022 नियत की गई है। अप्रार्थी सं. 01 रामेश्वर द्वारा उक्त मामला में अप्रार्थी सं. 29 पीठासीन अधिकारी पर अनुचित दबाव बनाकर उक्त प्ररकण का निस्तारण अपने पक्ष में करवाना चाहता है। अप्रार्थी सं. 01 के राजनैतिक दबाव के कारण उक्त प्रकरण में सही न्याय निर्णयन नहीं होने की पूर्ण संभावना है। इन परिस्थितियों में प्रार्थीया को न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर के वर्तमान पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी सं. 29 से न्याय की कोई उम्मीद नहीं रही है। अप्रार्थी सं. 01 रामेश्वर ऐलानियां तौर पर स्पष्ट धमकी दे रहा है कि उक्त प्रकरण में पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी

सं. 29 से अपने पक्ष में अनुचित दबाव के तहत निर्णय पारित करवा लेगा। प्रार्थीया को युक्तियुक्त पूर्ण आशंका है कि सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर के वर्तमान पीठासीन अधिकारी राजनैतिक दबाव व प्रभाव में आकर निर्णय पारित करेंगे। इन परिस्थितियों में प्रार्थीया को अप्रार्थी सं. 29 से न्याय की कोई उम्मीद नहीं रही है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर के समक्ष लम्बित राजस्व वाद सं. 455/2021 बअनवानी मु. शांति बनाम रामेश्वर आदि' तथा उक्त वाद पत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधि., विविध राजस्व प्रकरण संख्या–48/2021 बअनवानी मु. शांति बनाम रामेश्वर आदि' तथा अवमानना प्रार्थना पत्र को उक्त न्यायालय से स्थानान्तरित कर सुनवाई हेतु अन्य सक्षम न्यायालय में अन्तरित किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया व सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर से तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई।

वकील अप्रार्थी संख्या 01 ता 16 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थीया का यह कथन कतई गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के वर्तमान पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी सं. 29 पर अप्रार्थी सं. 01 का राजनैतिक दबाव हो तथा प्रार्थीया के विपक्ष में निर्णय हेतु दबाव बना रखा हो। प्रार्थीया ने वास्तविक स्थिति को छिपाया है। उपरोक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में सक्षम सिविल न्यायालय में निर्णय पारित हो चुका है। प्रार्थीया ने सिविल न्यायालय के निर्णय को छुपाते हुए मिथ्या आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत किया तथा वाद पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एकपक्षीय स्थगन हासिल किया जिसमें अप्रार्थी सं. 01 ने उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एकपक्षीय स्थगन खारिज करने का निवेदन किया, लेकिन प्रार्थीया स्थगन प्रार्थना पत्र पर कोई बहस नहीं करना चाहती। कानूनन एकपक्षीय स्थगन का निस्तारण 30 दिन के भीतर किया जाना है। प्रार्थीया ने मिथ्या आधारों पर एफ.आई.आर. संख्या 360/2021 भी दर्ज करवाई थी जिसमें बाद अनुसंधान पुलिस ने एफ.आर. दी है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी सं. 01 की सुदृढ़ जवाबदेही को देखते हुए मुकदमा को देरीना करना चाहती है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र मिथ्या आधारों पर होने के कारण विशेष हर्जाना सहित खारिज फरमाया जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया द्वारा उक्त वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.04.2021 को रोही मौजा चक राजासर के खसरा नं. 180/01 की 3.0980 हैक्ट. भूमि के सम्बन्ध में रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए का स्थगन भी जारी किया हुआ है। अप्रार्थी स. 01 रामेश्वर ने अपने राजनैतिक प्रभाव के तहत स्थगन के बावजूद उक्त खाता में भूमि विक्रय की है। अप्रार्थी सं. 01 रामेश्वर जो कि राजनैतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति है, द्वारा उक्त मामला में अप्रार्थी सं. 29 पीठासीन अधिकारी पर अनुचित दबाव बनाकर उक्त प्ररकण का निस्तारण अपने पक्ष में करवाना चाहता है। प्रार्थी को यह आशंका है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 01 के दबाव में आकर प्रार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही फैसला कर देगा। इसलिए अप्रार्थी संख्या 01 पीठासीन अधिकारी से कोई न्याय की उम्मीद नहीं होने पर विचारण न्यायालय में लम्बित प्रार्थना पत्र किसी अन्यत्र न्यायालय में निस्तारण हेतु अन्तरित किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 01 ता 16 ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थीया का यह कथन कतई गलत व मिथ्या है कि अधीनस्थ न्यायालय के वर्तमान पीठासीन अधिकारी पर अप्रार्थी सं. 01 का राजनैतिक दबाव है। प्रार्थीया ने वास्तविक स्थिति को छिपाया है। उपरोक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में सक्षम सिविल न्यायालय में निर्णय पारित हो चुका है। प्रार्थीया ने सिविल न्यायालय के निर्णय को छुपाते हुए मिथ्या आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत किया तथा वाद पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एकपक्षीय स्थगन हासिल किया जिसमें अप्रार्थी सं. 01 ने उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एकपक्षीय स्थगन खारिज करने का निवेदन किया, लेकिन प्रार्थीया स्थगन प्रार्थना पत्र पर कोई बहस नहीं करना चाहती। प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थीया जानबूझकर प्रकरण को लम्बित रखने तथा प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण पर जो आक्षेप अंकित किये है वे निराधार, मनघडंत एवं झूठे है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में विचारण न्यायालय पर जो आक्षेप अंकित किये है वे झूठे व निराधार है। प्रार्थी ने प्रश्नगत विचाराधीन प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर के न्यायालय में विचाराधीन वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधि. के तहत तथा अवमानना प्रार्थना पत्र, को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण करवाने के सम्बन्ध में है। पत्रावली पर उपलब्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर की टिप्पणी के अवलोकन अनुसार प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य निराधार/तथ्यहीन होना व प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए. पर एकपक्षीय सुनवाई किया जाकर स्थगन आदेश जारी किया गया जो वर्तमान में विचारधीन होना तथा उनके द्वारा किसी भी दबाव में कार्य नहीं किया जाना पाया गया। प्रार्थीया का न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर में अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. के तहत वाद पत्र दायर है जो वास्ते जवाब दावा प्रतिवादी सं. 1 व शेष प्रतिवादीगण की तलबी व प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए. में जवाब प्रतिवादी सं. 01 पेश होकर शेष प्रतिवादीगण की तलबी की स्टेज पर है। पत्रावली अभी तक प्रारम्भिक स्टेज पर है जिसमें अप्रार्थीगण की तलबी की जानी भी अपेक्षित है। वाद पत्र अभी तक अन्तिम निस्तारण की स्थिति में भी नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य मनगढंत साबित होते है तथा प्रार्थी द्वारा वाद पत्र को मुन्तकिल करवाने का उद्देश्य न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। इसलिए प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर को निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया को अपनाते हुए समुचित कार्यवाही करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। आदेश की प्रति सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश आज दिनांक 02.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़